तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज अपील /डिक्री/ टीए/ 5006/ 2001/ अलवर हीरालाल जरिये का0मु0 बनाम मोहनलाल जरिये का0मु0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
20-02-2018	**खण्ड पीठ** **श्री श्याम लाल गुर्जर, सदस्य** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** उपस्थित :– श्री जे0पी0माथुर, अभिभाषक अपीलार्थी । रेस्पोडेंट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाहीं **निर्णय** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–4–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलांट ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 314 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से 9 बिस्वा भूमि को वादी अपीलांट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से काश्त करते चले आ रहे है और उक्त अधिनियम के प्रभाव मं आने से स्वतः ही इस आराजी के खातेदार काश्तकार हो गये। रेस्पोडेंट प्रतिवादी का विवादित आराजी से कोई सबंध नहीं है किंतु वे वादी अपीलांट के कब्जेकाश्त में दखलअदांजी करते है तथा दौराने भू प्रबंध कर्मचारियों से मिलकर उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली। अतः वादी अपीलांट को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये रेस्पोडेंट प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 9–6–83 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे असन्तुष्ट हो कर अपीलांट्स ने प्रथम अपील, राजस्व अपील प्राधिकारी अलवा के यहां प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 10–4–01 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त निर्णयों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट द्वारा वाद के समर्थन में	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज अपील /डिक्री/ टीए/ 5006/ 2001/ अलवर हीरालाल जरिये का0मु0 बनाम मोहनलाल जरिये का0मु0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रस्तुत दस्तावेज पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया। प्रस्तुत दस्तावेज में कस्टोडियन विभाग द्वारा जारी पट्टा, खसरा गिरदावरी, जमाबंदी व पुर्नवास विभाग के पत्र एवं लगान की रसीदें व तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा मौखिक साक्ष्य में अपने स्वयं व दो गवाह के बयान आदि दस्तावेजों से सिद्ध था कि हाल खसरा नंबर 334 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में अपीलांट की खातेदारी खसरा संख्या 395/276 की 9 बिस्वा भूमि सम्मिलित है। पुर्नवास विभाग के द्वारा जो पट्टा जारी किया गया था वह खसरा नंबर 395/276 रकबा 18 बिस्वा का है और मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 334 खसरा नंबर 276 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से मिलकर बना है तथा इस भूमि में 9 बिस्वा भूमि तक वादी अपीलांट खातेदारी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी होने के बावजूद परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद गलत तरीके से खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने भी गलत रूप से परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखते हुये अपीलांट्स की अपील मनमाने तौर पर खारिज की है। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाहीं अमल में लाई जाकर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। विवादित आराजी राजस्व रिकोर्ड में कस्टोडियन दर्ज है तथा कस्टोडियन भूमि का वाद सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। कस्टोडियन भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अलग से प्रावधान दिये हुये है। उनके तहत यदि वादी का स्वामित्व बनता है तो वह खातेदारी प्राप्त कर सकता है। वादी अपीलांट ने दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष किसी भी दस्तावेज से यह साबित नहीं किया कि विवादित आराजी का उसे पट्टा प्राप्त हुआ है या कीमतकर्जा जमा कराया है। केवल मात्र कब्जे के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने खातेदारी वादी का दिया जाना उचित नहीं माना है। मिलान क्षेत्रफल से भी वादी का वाद सिद्ध होना दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नहीं माना है। परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजातों का पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पश्चात् ही अपना निर्णय पारित किया है तथा वाद सिद्ध नहीं करने की स्थिति में वादी अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विधिसम्मत् मानते हुये बहाल रखा गया है। अपीलांट अभिभाषक का यह तर्क कि परीक्षण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सहीं मूल्याकंन नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज अपील /डिक्री/ टीए/ 5006/ 2001/ अलवर हीरालाल जरिये का0मु0 बनाम मोहनलाल जरिये का0मु0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	किया, मानने योग्य नहीं है। परीक्षण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों पर विस्तृत विवेचन व विश्लेषण किया है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक अपीलांट के उक्त तर्क से हम सहमत नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद विस्तृत विवेचन एंव विश्लेषण के पश्चात् विस्तृत निष्कर्ष अंकित करते हुये खारिज किया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों को ही पुष्ट किया गया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समान निष्कर्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है। अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील ज्ञापन में अथवा दौराने बहस यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि परीक्षण न्यायालय अथवा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किस साक्ष्य को अथवा किस अभिलेख को किस प्रकार गलत रुप से विवेचित किया गया है। इसके विपरीत तथ्यात्मक बिन्दुओं पर दोनों ही न्यायालयो के समवर्ती निष्कर्ष परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य की विस्तृत विवेचना पर आधारित हैं। अतः हमारा स्पष्ट मत है कि हस्तगत तथ्यात्मक बिन्दुओं पर आलोच्य आदेश दिनांक 9–6–83 व 10–4–01 में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर अवलर के निर्णय व डिक्री दिनांक 9–6–83 और प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 10–4–01 के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील निराधार एवं सारहीन है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(महावीर सिंह)** **(श्याम लाल गुर्जर)** **सदस्य** **सदस्य**	